Construction of fly-overs at railway gates on National Highways

983. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of railway gates on national highways which are without fly-overs;

(b) the number of proposed fly-overs at the railway gates on national highways; and

(c) steps taken to build fly-overs in order to have smooth and fast traffic on national highways?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Compared to 15814 manned level crossings presently on the Railway system in the country as a whole, on National Highways there were 282 crossings as per inventory conducted in 1984-85. Since then construction of 21 road over bridges has been taken up on the National Highways. Construction of road over bridges at railway crossings is a continuous process and this is being done in a phased manner during the various Plan periods depending upon the intensity of traffic, *inter se* priorities and overall availability of funds.

जवाहरलाल नेहरू पत्तन के कार्यकरण में सुधार

984. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई-स्थित दैनिक "जनसत्ता" में "गहरे संकट में गुजर रहा है जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या उपचारी कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। इस समाचार में कई समस्याओं पर टिप्पणी की गई है जैसे (i) जहाजों तथा रेल डिब्बों की वापसी का समय (टर्न-राउंड टाइम), (ii) ट्रैक्टर ट्रेलरों की उपलब्धता, (iii) आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता, (iv) श्रमिक समस्यायें और (v) स्टाफ तथा संवर्ग से संबंधित मुद्दे, इत्यादि।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1991 में कुछ समस्यायें पेश आई थीं जिनसे कुछ हद तक प्रचालन कार्यकुशलता प्रभावित हुई है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्राधिकारियों से कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये उपाय करने हेतु कहा गया है। सरकार पत्तन के कार्य निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रख रही है।

जहाजरानी उद्योग का कार्यकरण

985. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नवम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "एक्जिम स्क्रिप्स अर्ज्ड फार शिपिंग फर्म्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जहाजरानी सेवाओं में सुधार करके बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है और कुछ हद तक विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकती है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जहाजरानी उद्योग को बेहतर हालत में लाने के लिये आगामी वर्षों में कार्यान्वयन के लिये किन-किन योजनाओं को अनुमोदित किया गया है ; और

(घ) सरकार द्वारा जहाजरानी उद्योग के कार्यकरण में सुधार करके 1991-92 के वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने नौवहन उद्योग की सहायता करने के लिये निम्नलिखित उपाय अनुमोदित किए हैं:-

1. लाइसेंसिंग प्रक्रिया को करगर बनाना जिससे अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में शीघ्र जहाज-खरीद की जा सके।

2. बल्क कार्गो की ढुलाई में ट्रांसपोर्ट द्वारा भारतीय जहाज मालिकों के लिये कार्गो-प्राथमिकता।

3. जहाजों की स्क्रेपिंग के लिये प्रक्रिया का सरलीकरण।

4. पारी-पासू अनिवार्यता का सुधार।

5. आधुनिक एवं कम ईंधन खपत वाले जहाजों की खरीद के लिये प्रोत्साहन।

6. ब्याज सबसिडी के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन।

7. न्हावा शोवा के नए पत्तनों का निर्माण तथा अन्य पत्तनों में पत्तन संरचना और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार।

8. मौजूदा टनेज को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रस्ताव को यदि प्रतिस्थापना (रिप्लेसमेंट) प्रस्ताव प्रतिस्थापित की जाने वाली टनेज से 25% तक की सीमा तक अधिक है तो, जहाज खरीद लाइसेंसिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 में वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान। इनमें भारतीय नौवहन कम्पनियों के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ करने के लिये प्रोत्साहन तथा जहाजों की खरीद के लिये विशिष्ट रूप से इस्तेमाल किये जाने हेतु विशेष आरक्षित निधि के सृजन के लिये प्रोत्साहन की व्यवस्था शामिल है।

10. निर्धारित आवश्यकता से 25% अधिक तक जहाज खरीद की अनुमति देना।

11. निजी नौवहन कम्पनियों को, निर्धारित आवश्यकता का हवाला दिये बिना भारतीय शिपयार्डों को आर्डर देने की अनुमति।

12. चुनिंदा लाइनर रूटों पर प्रचालन के लिये भारतीय नौवहन कम्पनियों को लाइसेंस देने में छूट।

(घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम का कार्यकरण

986. **श्री सुरेश कलमाडी :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े को निजी बसों के द्वारा पूरा करने की अपनी पहल को किस सीमा तक कार्यान्वित करने में सफल हुई है;

(ख) क्या पहल ठीक प्रकार से चल रही है अथवा समस्याओं के कारण इसमें रुकावट आ गयी है;

(ग) दिल्ली में बिगड़ती हुई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुधारने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं;